फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा (मु0माल) मु0न0 24 सन 2014

बिरमादेवी बनाम जगदीश आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय :-

9.7.15	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 09–7–15 को उभय पक्षों की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आधारित थी। उन्होनें अपनी बहस मं तर्क दिया कि प्रार्थनापत्र ही मेरी बहस है।प्रार्थीगण की प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। अप्रार्थीगण भूमि का रहन–बैय व अन्य तरीक से बेचान कर देता हैं तो उसे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः पूर्व में दिनांक 10–3–2014 को जारी की गई अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण के वकील श्री आई0पी0सहारण एडवोकेट उपस्थित नहीं आने से दूसरे अप्रार्थी वकील श्री गुम्बर की बहस सुनी गई। वकील श्री गुम्बर ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। ना ही प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति हो रही हैं इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मेरी हद तक निरस्त कर दिया गया है। अतः मेरी हद तक अस्थाई निषेघाज्ञा का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें। हमने दोनों पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर भूमि पर कब्जा होने से सुविधा सन्तुलन उनके पक्ष में हैं। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता हैं तो उसे अपूरणीय क्षति भी कारित होती है।अप्रार्थी स022से 24 की हद तक दिनांक 10–3–2014 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा निरस्त की जा चुकी है। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्व पूर्व में आदेश दिनांक 16–8–2011 से जारी अस्थाई निषेघाज्ञा में वर्णित भूमि में से 2.168 हैक्टेयर भूमि को मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे। आदेश सुनाया गया। (केलाशचन्द्र शर्मा) उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर	